भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4920

उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

विद्यालयों में विभिन्न प्रौद्योगिकी अवसंरचनाएं और सुविधाएं

†4920. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में निरंतर बिजली आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, डेस्कटॉप और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के अनुकूल शौचालयों जैसी सुविधाओं से युक्त विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है और प्रतिशत क्या है;

(ख) पूरे देश में पिछले एक वर्ष में न्यूनतम एक चिकित्सा शिविर आयोजित करने वाले विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) मानदंडों का अनुपालन करने वाले विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के लिए संख्या कितनी है और प्रतिशत क्या है;

(घ) पूरे देश में केवल एक शिक्षक वाले विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के लिए संख्या कितनी है, साथ ही ऐसे विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है और इन विद्यालयों में औसत छात्र-शिक्षक अनुपात क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों को प्रदान की गई तकनीकी सहायता (जैसे डिजिटल स्मार्टबोर्ड, टैबलेट आदि) की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है और इस संबंध में किया गया व्यय कितना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) 2024-25 के अनुसार, बिजली सुविधा, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए

शौचालयों वाले स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या और प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख): यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक चिकित्सकीय जांच आयोजित कराने वाले स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिशत https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में प्रत्येक स्कूल के स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभवंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम की सिफारिश की गई है। यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार (महाराष्ट्र सहित) छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(घ): यूडाइज़+ 2024-25 के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार (महाराष्ट्र सहित) एकल शिक्षक स्कूल और इन स्कूलों में नामांकन https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के नाते, देश के बहुसंख्य स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। शिक्षकों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियां विभिन्न कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्र नामांकन में वृद्धि के कारण शिक्षकों की बढ़ी हुई आवश्यकता की वजह से उत्पन्न होती हैं। केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(च): समग्र शिक्षा के तहत, वर्ष 2025-26 के लिए आईसीटी और स्मार्ट क्लासरूम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार भौतिक और वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध है, जिसमें इसी अवधि के लिए प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों के लिए टैबलेट का ब्यौरा https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध हैं।
